आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0......22....../17–18

राज्य बनाम सफारी गाड़ी रजिस्ट्रेशन नं0– BR-01PB-2411

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख–सहित। 3
17.10.18	पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में सौरबाजार (पुलिस शिविर बैजनाथपुर) थाना कांड संख्या–348/16 दिनांक– 01.09.16 में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (a) के तहत जब्त वाहन सफारी गाड़ी रजिस्ट्रेशन नं0– BR-01PB-2411 को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। पुलिस अधीक्षक, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सौरबाजार (पुलिस शिविर बैजनाथपुर) थाना कांड संख्या–348/16 दिनांक–01.09.16 में पु0अ0नि0 शंभूनाथ सिंह, पुलिस शिविर प्रभारी, बैजनाथपुर के स्वलिखित बयान के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त (1) रमेश कुमार स्वर्णकार पे0 स्व0 बिन्देशरी स्वर्णकार सा0 बैजनाथपुर वार्ड नं0 02 थाना–सौरबाजार जिला–सहरसा (2) सफारी गाड़ी रजिस्ट्रेशन नं0– BR-01PB-2411 के मालिक के विरूद्ध अवैध शराब रखने खरीदने बेचने के आरोप में दर्ज किया गया है। प्राथमिकी अभियुक्त रमेश कुमार स्वर्णकार के घर के पीछे बाड़ी में सफारी गाड़ी रजिस्ट्रेशन नं0– BR-01PB-2411 से कुल 33 पेटी में कुल 1176 बोतल यानि 291.240 लीटर विदेशी शराब बरामद/जब्त किया गया था साथ ही प्राथमिकी अभियुक्त रमेश कुमार स्वर्णकार का ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति भी उक्त सफारी गाड़ी से बरामद/जब्त किया गया था उक्त सफारी गाड़ी रजिस्ट्रेशन नं0– BR-01PB-2411 को जब्त किया था और उक्त सफारी गाड़ी को सुरक्षार्थ पु0शि0 बैजनाथपुर परिसर में रखा गया है। उक्त वाहन को अभिरक्षा में लेकर	

अभियोग दर्ज किया गया।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जब्त वाहन से अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि जब्त वाहन से शराब का परिवहन किया गया है। वाहम का अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने की मंशा स्पष्ट होती है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जब्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है।

विपक्षीगण वाहन मालिक की ओर से न तो कारणपृच्छा दाखिल किया गया है और न ही कोई उपस्थित हुआ है। उक्त वाहन से विदेशी शराब बरामद हुआ जिससे यह प्रतीत होता है कि जब्त वाहन अवैध कारोवार में संलिप्त है तथा विपक्षी को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाहन से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाबजूद जब्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की तहत उक्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः जब्त सफारी गाड़ी रजिस्ट्रेशन नं0–BR-01PB-2411 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि जब्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत नीलामी कर विक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को देगें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी है।

समाहर्त्ता, सहरसा। (ह० 12.10.18)

समाहर्त्ता, सहरसा। (ह० 12.10.18)

ज्ञापांक 1745-2/विधि, सहरसा, दिनांक 01-11-2017.

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा/अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– ज़िला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
01-11-017 जिला विधि शाखा, सहरसा।